राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति

NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

रजिस्टर्ड

राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी-435/2001/1840-1846 दिनांक : 31.07.2001

भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ

आदेश

इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजूकेशन, मेरठ- दिल्ली रोड, कादराबाद, मोदी नगर, गाजियाबाद-201201, उत्तर प्रदेश ने बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता हेतु समिति कार्यालय में दिनांक 01.03.2000 को आवेदन किया था।

संस्था का दिनांक 5 अप्रेल, 2000 को संस्था के आवेदन पर सत्र 2000-2001 की मान्यता के विचार हेतु मूल्यांकन कराया गया था तथा संस्था के मूल्यांकन प्रतिवेदन, संस्था की मूल पत्रावली, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों /मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आदि उत्तर क्षेत्रीय समिति की 24 वीं बैठक में प्रस्तुत किए गए थे। समिति निर्णयानुसार संस्था को पत्र दिनांक 24.4.2000 प्रेषित किया गया था जिसमें संस्था को निम्नांकित कमियों की सूचना प्रेषित करते हुए संस्था को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने को कहा गया था।

1. परिषद् के नार्म्स् एण्ड स्टेण्डर्स के पैरा 2.1, 2.2, 2.3 व 2.5 के अनुसार निर्धारित योग्यता व विषयों के अनुसार नियमानुसार राज्य सरकार /विश्वविद्यालय/यूजीसी के निर्देशानुसार गठित चयन समिति द्वारा पूर्ण कालिक एवं नियमित वेतन शृंखला में चयनित रीडर/व्याख्याताओं की 1:10 के मानदंडों से कमी है और ना ही अब तक नियमानुसार चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर रीडर/व्याख्याताओं का चयन कर उनसे परिषद् द्वारा मान्यता मिलने पर कार्यग्रहण करने की सहमति प्राप्त की है।
2. परिषद् के नार्मस् व स्टेण्डर्स के पैरा 2.2 व 2.3 के अनुसार कार्यानुभव, कला, म्यूजिक व परफार्मिंग आर्ट के अनुदेश, तकनीकी सहायक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष अलग से नहीं हैं।
3. परिषद् के नार्मस् व स्टेण्डर्स के पैरा 3 के अनुसार कक्षा-कक्ष, बहुउद्देशीय कक्ष, हॉल, बहुउद्देशीय प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कार्यानुभव कक्ष, प्राचार्य/विभागाध्यक्ष कक्ष, स्टॉफ-रूम, आदि बीएड प्रभाग के लिए अलग से चिह्नित नहीं किया गया है और ना ही भवन के मानचित्र में उनको दर्शाया है।
4. परिषद् के नार्मस् व स्टेण्डर्स के पैरा 3.5.2 के अनुसार मनोविज्ञान प्रयोगशाला में उपकरण नहीं हैं।
5. परिषद् के नार्मस् व स्टेण्डर्स के पैरा 3.5.4 के अनुसार पुस्तकालय में पुस्तकें व जनरल्स् नहीं हैं।
6. परिषद् के नार्मस् व स्टेण्डर्स के पैरा 5.1 के अनुसार अक्षय निधि व सुरक्षित निधि की कमी है।

संस्था से प्राप्त उत्तर एवं संस्था की मूल पत्रावली, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आदि उत्तर क्षेत्रीय समिति की 26 वीं बैठक में प्रस्तुत किए गए थे तथा समिति के निर्णयानुसार संस्था को पत्र दिनांक 16.6.2000 प्रेषित किया गया था जिसमें संस्था को निम्नांकित कमियों की सूचना प्रेषित करते हुए संस्था से लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने को कहा गया था।

क्रसं.	संस्था में पाई गई कमियाँ
1	प्राचार्य/प्रधान-1 शिक्षा विषय में स्नातकोत्तर डिग्री सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार तथा अध्यापन, शोधकार्य/प्रशासन में 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 5 वर्ष का अनुभव अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में हो। रीडर/प्राध्यापक (लेक्चरर)-3 शिक्षा विषय में स्नातकोत्तर डिग्री सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार, संबंधित विद्यालय विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, अध्यापक शिक्षा संस्थान में 5 वर्ष के अध्याप/शोधकार्य का अनुभव प्राध्यापक(लेक्चरर)-3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार तथा विद्यालय स्तर के विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Phone फोन : 0141-623501 Fax फैक्स : 91-141-620116
Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302 004
Jurisdiction : U.P., Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
E-Mail : ncte@raj.nic.in Website : http://www.ncte-in.org